लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4244

जिसका उत्तर बुधवार, 26 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

फर्जी विज्ञापन

4244. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों से संबंधित ऊर्जा विज्ञापनों और दावों की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फर्जी दावों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के बीच ऐसी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) किसी भी उत्पाद या सेवा के संबंध में "भ्रामक विज्ञापन" को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित करती है, जो- (i) ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है; या (ii) ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है, या उन्हें गुमराह करने की संभावना रखता है; या (iii) ऐसा स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व करता है, जो यदि निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो यह अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा; या (iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) जो एक कार्यकारी एजेंसी है, 24.07.2020 को अस्तित्व में आई। इसे हस्तक्षेप करने, अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाले उपभोक्ता नुकसान को रोकने और क्लास एक्शन शुरू करने के लिए बनाया गया है, जिसमें उत्पादों को वापस मंगाना, वापस करना और रिफंड शामिल है। इसका मुख्य कार्य जनता के हित के लिए हानिकारक झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकना और विनियमित करना है।

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करते हैं; (क) किसी विज्ञापन को वैध और गैर-भ्रामक मानने की शर्तें; (ख) प्रलोभन विज्ञापनों और निःशुल्क दावा विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और, (ग) विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य। है। तदनुसार, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, पृष्ठांकनकर्ता में वह व्यक्ति, समूह या संस्था शामिल है जो किसी विज्ञापन में किसी वस्तु, उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करता है, जिसकी विचार, धारणा, खोज या अनुभव वह संदेश है जिसे वह विज्ञापन प्रतिबिंबित करता है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विज्ञापनों के समर्थन के लिए सम्यक तत्परता बरतना आवश्यक है, ताकि किसी भी विज्ञापन में पृष्ठांकन, उस व्यक्ति, समूह या संगठन की वास्तविक, यथोचित वर्तमान राय को प्रतिबिंबित करे, तथा दर्शाए गए सामान, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव पर आधारित हो, तथा किसी भी प्रकार से भ्रामक न हो। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां भारतीय पेशेवरों को, चाहे वे भारत में निवासी हों या अन्यत्र, किसी भी कानून के तहत किसी भी पेशे से संबंधित किसी भी विज्ञापन में पृष्ठांकन करने से रोका गया है, वहां ऐसे पेशे के विदेशी पेशेवरों को भी ऐसे विज्ञापन में पृष्ठांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21(2) के अनुसार, झूठे या भ्रामक विज्ञापन के मामले में, सीसीपीए विनिर्माता या विक्रेता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है या बार-बार उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

भ्रामक दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियमन, 2018 सहित व्यापक नियम स्थापित किए हैं। इन विनियमों में खाद्य व्यवसायों द्वारा दावे करने के लिए स्पष्ट विनिर्देशों का उल्लेख किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि खाद्य संबंधी विज्ञापन एवं दावे सटीक, गैर-भ्रामक हों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। इन आवश्यकताओं का पालन करना खाद्य व्यवसायों की जिम्मेदारी है। एफएसएस अधिनियम की धारा 24 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक भी शामिल है। इन विनियमों का कोई भी उल्लंघन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके बाद बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई का कारण बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो विज्ञापन देता है या किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भागीदार है या इस विनियमन का अनुपालन न करने का दावा करता है, उसे अधिनियम की धारा 53 के अनुसार दंडित किया जाएगा, जिसमें दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

*****